राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	137/2012	माली राम	1. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर। 2. अति.मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलिंग डिविजन, जयपुर। 3. अधीशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलिंग डिविजन, जयपुर। 4. मोहम्मद अरशद पुत्र श्री मोहम्मद नशीर, आनन्द सीनेमा के पास, गुरूद्वारा के सामने, जोधपुर। 5. मदन सिंह, प्लाट नं.29, महावीर नगर, Kudi Bhatansani, जोधपुर।
2.	138/2012	अब्दुल सलाम	

आदेश की दिनांक : 12.09.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री जाकिर हुसैन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 137/2012 माली राम बनाम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उपरोक्त टेबिल में अंकित अपीलों को इस एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

2. अपील संख्या 137/2012 में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किए हैं कि अपीलार्थी की हेल्पर द्वितीय के रूप में कार्य प्रभारित (वर्क चार्ज) के रूप में नियुक्ति हुई थी। दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अपीलार्थी को अर्द्धस्थाई दिनांक 01.09.1968 से घोषित किया गया। उसके पश्चात दिनांक 01.04.1971 से अपीलार्थी को नियमित किया गया। आदेश दिनांक 27.06.1978 को अपीलार्थी को कंप्रेसर ड्राइवर के पद पर दिनांक 01.07.1978 से पदोन्नति दी गई। इसके पश्चात आदेश दिनांक 31.01.1986 से अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 1976 से संशोधित करते हुए 1978 की गई। अपीलार्थी को 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ भी दिया गया। दिनांक 08.04.2003 को कंप्रेसर चालकों की सम्यक वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें दिनांक 01.04.2003 की स्थिति के अनुसार

अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–5 पर था। अपीलार्थी बोरिंग ऑपरेटर के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता रखता था, परंतु अपीलार्थी को बोरिंग ऑपरेटर के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति मोहम्मद अरशद एवं मदन सिंह, जिनका नाम वरिष्ठता संख्या–7 एवं 8 पर था, उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई। आदेश दिनांक 18.12.1991 को अपीलार्थी के पद का नाम परिवर्तित कर कंप्रेसर सह मशीन ऑपरेटर किया गया। इसके पश्चात दिनांक 29.09.1980 को 5 पद बोरिंग ऑपरेटर के स्वीकृत किए गए, जिस पर कंप्रेसर ड्राइवर के पद से पदोन्नति की जानी थी। आदेश दिनांक 14.02.1996 के द्वारा श्री मोहम्मद अरशद एवं मदन सिंह को कंप्रेसर चालक के पद पर दिनांक 01.04.1985 से नियमित किया गया, जबकि अपीलार्थी उक्त मोहम्मद अरशद एवं मदन सिंह से वरिष्ठ था। अपीलार्थी को कंप्रेसर चालक के पद पर नियमित नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी मोहम्मद अरशद एवं मदन सिंह से वरिष्ठ था और बोरिंग ऑपरेटर का पद केवल पदोन्नति से कंप्रेसर ड्राइवर के पद से भरा जा सकता था। इस प्रकार वरिष्ठता के आधार पर अपीलार्थी बोरिंग ऑपरेटर के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि मोहम्मद अरशद एवं मदन सिंह का वरिष्ठता सूची में नाम क्रम संख्या–7 एवं 8 पर था, इसके बावजूद भी अपीलार्थी की वरिष्ठता को लांघकर बोरिंग ऑपरेटर के पद पर कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> "It is therefore humbly prayed that the Hon'ble Tribunal may kindly call for the entire record relating to the case from the respondents and after perusing the same appeal of the appellant allowed:-
>
> (1) By an appropriate order or directions the respondents may be directed to grant promotion to the appellant on the post of compressor cum machine operator (boring operator) with all consequential benefits @ 12 per month from the dated when the junior person i.e. respondents no. 4 & 5 were declared/promoted on the past boring operator i.e. 3/9/1981.
>
> (2) Any other order deemed just and proper and in the interest of justice may also kindly be passed in favor of the appellant and he be awarded costs."

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.09.1980 में पदों के सृजन संशोधित विवरण में "कम्प्रेशर कम मशीन चालक" के पांच पद स्वीकृत है, जबकि कम्प्रेशर चालक के नाम से किसी प्रकार का पदनाम अंकित नहीं है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.06.1978 के द्वारा कम्प्रेसर चालक के पद पर पदोन्नत किया गया जबकि कम्प्रेसर चालक के कोई पद स्वीकृत नहीं थे। मोहम्मद अरसद एवं मदन सिंह की नियुक्ति यद्वपि कम्प्रेसर चालक के पद पर दी गयी थी, जिसे बाद में विभागीय स्तर पर नियमित किया गया तथा राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत कम्प्रेसर कम मशीन आपरेटर के स्वीकृत पदों पर पदनाम बोरिंग ऑपरेटर के पद का करने का लाभ उक्त दोनों कार्मिकों को दिया गया। अरशद एवं मदन सिंह को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.09.1980 द्वारा उपलब्ध स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियुक्ति दिनांक 03.09.1981 से नियमित किया गया एवं नियमित होने के उपरान्त किसी प्रकार का एरियर देय नहीं होने का उल्लेख भी किया। दोनों कार्मिकों को नियमानुसार पदोन्नति दी गयी है। कम्प्रेसर चालक के नाम से किसी प्रकार का पद स्वीकृत नहीं होने के फलस्वरूप उक्त कार्मिकों को उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुसार कम्प्रेसर चालक के पद पर पदोन्नत किया गया तथा कार्मिकों के नियमानुसार विकल्प पत्र भरे जाने पर 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है, तथा अपीलार्थी सेवानिवृत हो चुका है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद अरशद एवं मदन सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 866/2010 प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से विवेचना की थीः–

> " Heard learned counsel for the parties.
>
> It is not in dispute that by the order dated 29.08.1980, several cadre posts were created including the post of Compressor cum Machine Operator. The respondents employed the petitioners as Compressor Driver, though no such post was created under the order dated 29.08.1980. The respondents subsequently designated the petitioners as Boring Operator, in view of the fact that the post of Compressor cum Machine Operator was re-named as Boring Operator. This fact in addition to the fact that no post of Compressor Driver was existing in the Rules of 1967 and also under the order dated 29.08.1980, is sufficient to establish that the petitioners, as a

matter of fact, were employed as Compressor cum Machine Operator and not Compressor Driver. The respondents, if were of the view that the appointment was not given to the petitioners on the post of Compressor cum Machine Operator but to the post of Compressor Driver, then it was obligatory for them to satisfy the court that any such post was existing in the department. Learned counsel for the respondents failed to point out any such post under the Rules of 1967, under the order dated 24.08.1980 or even under the Workcharge Rules of 1964.

In view of the factual position noticed above, I am having no hesitation in holding that the petitioners were employed with the respondents only in the capacity of Compressor cum Machine Operator, as such, they were rightly designated as Boring Operator vide order dated 31.05.2003. The order impugned dated 17.08.2010, thus, is bad on its face.

The writ petition, therefore, deserves acceptance. Accordingly, the same is allowed. The order dated 07.08.2010 is declared illegal, hence quashed. No order as to Frosts. "

5. उपरोक्त आदेशों से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कंप्रेसर ड्राइवर का कोई पद होना नहीं मानते हुए मोहम्मद अरशद एवं मदन सिंह की नियुक्ति कंप्रेसर सह मशीन ऑपरेटर के पद पर मानते हुए उन्हें सही प्रकार से बोरिंग ऑपरेटर के पद पर रि–डेजिग्नेट होना माना है। अपीलार्थी भी कंप्रेसर ड्राइवर के पद पर था और मोहम्मद अरशद एवं मदन सिंह से वरिष्ठ था। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अपीलार्थी का रि–डेजिग्नेशन बोरिंग ऑपरेटर के पद पर किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। अतः हम अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य पातें हैं। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थीगण को बोरिंग ऑपरेटर के पद पर उसी दिनांक से नियमित माना जाए, जिस दिनांक से उनसे कनिष्ठ मोहम्मद अरशद एवं मदन सिंह को माना गया है। अपीलार्थीगण को बोरिंग ऑपरेटर के पद का लाभ उसी प्रकार प्रदान किया जावें, जिस प्रकार उनसे कनिष्ठ मो. अरशद व मदन सिंह को किये गए हैं।
6. मूल आदेश को अपील संख्या 137/2012 में एवं इसकी छायाप्रति अपील संख्या 138/2012 में संलग्न की जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)